(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 303 – तीन/2015 विरूद्ध– आदेश दिनॉक 07 जनवरी, 2015 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 207/2012–13 अपील

नारायण प्रसाद द्विवेदी पुत्र भुवनेश्वर राम
ग्राम जोरौधा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– कौशलप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद दुबे
2– संतोषकुमार पुत्र कौशलप्रसाद दुबे
3– सत्येन्द्र प्रसाद पुत्र कौशलप्रसाद दुबे
4– सुरेश प्रसाद पुत्र कौशलप्रसाद दुबे
5– सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र कौशलप्रसाद दुबे
ग्राम जोरोधा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी, मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री नागेन्द्रमणि त्रिपाठी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक विवके शर्मा)

आ दे श

(आज दिनॉक 28–11–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 207/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के

तहत आवेदन देकर बताया कि ग्राम जौरोधा स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी कमाक 76 रकबा 0.190 हैक्टर के अॅश भाग रकबा 0.016 हैक्टर पर अनावेदकगण मकान बनाकर अतिक्रमण कर रहे है इसलिये उन्हें अतिक्रमित रकबा 0.016 हैक्टर पर से बेदखल किया जाय। तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 8 अ-70/09-10 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 19-9-2011 पारित किया एंव अनावेदकगण का उक्त भूभाग पर अतिक्रमण पाकर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील कमांक 95/2011-12 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनॉक 6 नवम्बर 2012 पारित करके अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-9-11 निरस्त कर दिया। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 207/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2015 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस का एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन देकर आवेदक ने उसके स्वामित्व की ग्राम जौरोधा स्थित भूमि सर्वे कमाक 76 रकबा 0.190 हैक्टर के अॅश भाग रकबा 0.016 हैक्टर पर अनावेदकगण व्दारा मकान बनाकर अतिक्रमण करने एंव उन्हें बेदखल करने की मॉग की थी, इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक गिर्द प्रथम से मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति पर जॉच

प्रतिवेदन मांगा है। राजस्व निरीक्षक ने सीमावर्ती कृषकों को सूचना पत्र देकर स्थल निरीक्षण किया है एंव भूमि का सीमांकन किया है । राजस्व निरीक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10-5-2010 तहसील के प्रकरण में पृष्ठ 56 पर संलग्न है, मौके पर की गई नप्ती अनुसार स्थिति इस प्रकार प्रतिवेदित है -

'' आवेदित नंबर के उत्तर तरफ मौजूद चांदा पत्थर से पैमाइस कार्य प्रारंभ किया जाकर उसके दक्षिण तरफ दक्षिण-पश्चिम कोण नियत किया तथा आवेदित नंबर का दक्षिणी-पूर्वी कोण के लिये चांदा-पत्थर के सामने की रेखा को आधार मानकर दक्षिण पैमाइश किया जाकर बिन्दु नियत किया गया जिसके अनुसार आवेदित सर्वे नं. 76 के उत्तरी-पश्चिमी भाग में कौशलाम संतोष कौ0 का अंश भाग दीवाल एंव बार्जा आता है ----जिसके अनुसार सर्वे नं0 76 में कौशलराम कौ0 की उत्तरी दीवाल पायी जाती है। ''

अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने आदेश दिनॉक 6-11-12 के पद 4 में इस स्थल नप्ती को एंव राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विवेचना इस प्रकार की है -

'' अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश भ्रामक है क्यों कि उक्त आदेश में रकबे का उल्लेख न कर मात्र अंश रकबा का उल्लेख राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। ''

अनुविभागीय अधिकारी का उक्त पर निर्णय संदेह प्रकट करता है कि जब मौके पर नप्ती में आवेदक की भूमि पर अतिक्रमण स्पष्ट हुआ है , बनाई जा रही दीवाल में दवे रकबे का उल्लेख न करना, राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को मिथ्या सावित नहीं करता , क्योंकि बनाई जा रही दीवाल के भीतर सीमांकन संभव नहीं है अपितु नप्ती के दौरान आवेदक के शेष बचे भू भाग को ही अतिक्रमण माना जायेगा। खड़क सिंह विरूद्ध उलकार सिंह उर्फ छोटासिंह 2002 (2) MPLJ 450 में व्यवस्था दी गई है कि भूमिस्वामी की कृषि भूमि पर अनाधिपूर्वक कब्जा किये जाने पर भूमिस्वामी को तहसीलदार के न्यायालय में आधिपत्य प्राप्त किये जाने हेतु एंव

आधिपत्य की पुनः स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का संविधिक अधिकार है। इसी प्रकार त्रिपुरारी दत्त विरूद्ध पदयुमनाथ 2010 राजस्व निर्णय 292 का न्याय दृष्टांत है कि विवादास्पद भूमि पर भवन का निर्माण किया गया, वह आबादी भूमि नहीं है धारा 250 के प्रावधान आकर्षित होते हैं कब्जा वापिसी की कार्यवाही विधिक है। परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने आदेश दिनांक 6-11-12 में तहसीलदार के विधिवत् आदेश दिनांक 19-9-11 पर तथा राजस्व निरीक्षक के परिमाप उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10-5-10 पर भ्रामक अर्थ निकालने का प्रयास है और इस तथ्य पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 207/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2015 में ध्यान न देने की भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 207/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 7-1-15 एंव अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 95/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 6 नवम्बर 2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं फलतः तहसीलदार गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 8/अ-70/09-10 में पारित आदेश दिनांक 19-9-11 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर